भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3569

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन

3569. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अब तक इसके विभिन्न घटकों के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा आवंटित धनराशि का कितना प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई, पनधारा प्रबंधन और अन्य घटकों के लिए उपयोग किया गया है;

(ग) इस योजना से कितने किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिला है तथा सभी पात्र लाभार्थियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने कृषि उत्पादकता, जल उपयोग दक्षता और किसान आय पर पीएमकेएसवाई के प्रभाव का आकलन किया है यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर) तथा भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। यह जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाता है तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करता है, खेत पर जल उपयोग दक्षता, सतत जल संरक्षण पद्धतियों आदि में सुधार करता है। इन तीन घटकों की स्थिति निम्नानुसार है:-

I. पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) वर्ष 2016-17 के दौरान 18 राज्यों के 183 जिलों में प्राथमिकता वाली निन्यानवे (99) चल रही प्रमुख/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने पर केंद्रित है, इसके साथ ही 88 परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीएंडडब्ल्यूएम) का एक साथ कार्यान्वयन भी किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत कुल 62 एमएमआई परियोजनाएं पूरी होने की सूचना मिली है, जिससे 25.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। वर्ष 2021-22 से, इस योजना में नौ (09) नई एमएमआई/विस्तार नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को शामिल

किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान रेणुका जी और लखवार राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी एआईबीपी के तहत वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किया गया है।

II. पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत, वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 21 राज्यों के 230 जिलों में सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना के तहत 3.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) के तहत 1.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

III. भूमि संसाधन विभाग द्वारा पीएमकेएसवाई के एकीकृत पनधारा (वाटरशेड) प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) घटक को कार्यान्वित किया जाता है। पनधारा (वाटरशेड) विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0) के अंतर्गत 28 राज्यों में 6382 पनधारा (वाटरशेड) विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इन परियोजनाओं से छोटे और सीमांत किसानों सहित लगभग 31.93 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022-23 से सितंबर 2024 तक लगभग 9.87 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीडीएमसी को वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 से अब तक, 722 जिलों में 94.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है, जिससे 86.14 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

पिछले 3 वर्षों के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय आवंटन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई राशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

नीति आयोग ने वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। पीएमकेएसवाई के अधिकांश घटकों को प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभाव और इक्विटी मापदंडों के प्रदर्शन के संदर्भ में संतोषजनक पाया गया है। इस अध्ययन में पीडीएमसी योजना को भी प्रासंगिक पाया गया है। इससे खेतों में जल उपयोग दक्षता में काफी सुधार हुआ है, फसल उत्पादकता इत्यादि में वृद्धि हुई है। इस अध्ययन के अनुसार जल उपयोग दक्षता में लगभग 30% से 70% सुधार हुआ है, विभिन्न फसलों के लिए उत्पादकता में 9% से 100% की वृद्धि हुई है और किसानों की आय में 10% से 69% तक की वृद्धि हुई है।

लो.स.अता.प्र.सं.3569

अनुबंध

वर्ष	एआईबीपी			सीएडी एंड डब्ल्यूएम			एसएमआई एंड आरआरआर			डब्ल्यूडीसी			पीडीएमसी		
	आवंटन	जारी राशि	%	आवंटन	जारी राशि	%	*आवंटन	जारी राशि	%	आवंटन	जारी राशि	%	आवंटन	जारी राशि	%
2021-22	*3444.0	2856.23	82.93	*256.0	107.98	42.18	881.07	765.63	86.90	2000.0	1195.97	59.80	3921.7	1796.1	45.80
2022-23	3237.69	668.61	20.65	1044.0	99.07	9.49	427.00	371.08	86.90	2000.0	999.703	49.99	3979.6	1901.4	47.78
2023-24	3112.23	1333.85	42.86	400.0	174.39	43.60	815.70	811.19	99.45	2200.0	1689.965	76.82	2783.4	2103.5	75.57
	9793.92	4858.69		1700.0	381.44		2123.77	1947.9		6200.0	3885.638		10684.7	5801.0	

*संशोधित अनुमान

*****